उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एंव जल संसाधन अनुभाग-9

संख्या–494/24/667/24-27-सिं0-9-74एसएवी/19

लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2024

बाणसागर नहर परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मेजा जिरगों लिंक नहर का निर्माण कार्य हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पक्ष में श्री राज्यपाल की ओर से भूमि क्रय के लेखपत्रों के निष्पादन के लिए श्री वी0एन0 तिवारी, उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तात्कालिक प्रभाव से प्राधिकृत किया जाता है।

2- श्री वी0एन0 तिवारी, उप सचिव, यदि उप निबन्धक के समक्ष उपस्थित नहीं होते है तो उनके द्वारा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को उपस्थित होने हेतु अधिकृत करते हुए उप निबन्धक के नाम इस आशय का एक पत्र प्रेषित किया जाएगा कि इस लेखपत्र/लेखपत्रों पर श्री राज्यपाल की ओर से पद की हैसियत से हस्ताक्षर कर दिये गये हैं, उन्हें उप निबन्धक कार्यालय में उपस्थित होने से मुक्त किया जाय एवं लेखपत्र को निबन्धन हेतु स्वीकार किया जाय।

कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या- /24/667/24-27-सिं0-9-74एसएवी/19, तद्दिनाक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
2- मण्डलायुक्त, विंध्यान्चल।
3- जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
4- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री वी0एन0 तिवारी, उप सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य अभियन्ता (बाणसागर), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है